संख्या-203/2022/1054/23-10-22-13(सेतु)/22

प्रेषक,

प्रभुनाथ
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊः दिनांक 27 दिसम्बर, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अंतर्गत जनपद शाहजहाँपुर के दो दीर्घ सेतुओं के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (सेतु विंग) उ0प्र0, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-986/प्रा0-आगणन-शाहजहाँपुर (अठसलिया)/सेतु-6/22-23 दिनांक 27.09.2022 एवं पत्र संख्या-993/प्रा0-आगणन-शाहजहाँपुर(जलालाबाद-शमशाबाद)/सेतु-6/22-23 दिनांक 27.09.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद शाहजहाँपुर में जी0आई0सी0 से अठसलिया रेलवे फाटक तक (लम्बाई 3.95 किमी0) मार्ग के चार लेन चौड़ीकरण के संरेखण में दो लेन खन्नौत नदी सेतु, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण हेतु लागत रू0 1214.22 लाख एवं जनपद शाहजहाँपुर में जलालाबाद-शमशाबाद मार्ग पर नव घोषित राज्यमार्ग-163 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के संरेखण में ढाई गांव के निकट सोत नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण हेतु लागत रू0 1103.33 लाख अर्थात कुल रू0 2317.55 लाख (रूपये तेईस करोड़ सत्रह लाख पचपन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये अनुदान सं0-57/83 से कुल रू0 579.38 लाख (रूपये पाँच करोड़ उन्यासी लाख अड़तीस हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्यपाल निम्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रम सं0	जनपद कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत	अनुदान सं0-57 का अंश	अनुदान सं0-83 का अंश	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटन (4+5)	कार्यदायी संस्था
1	2	3	4	5	6	7
1	जनपद शाहजहाँपुर में जी0आई0सी0 से अठसलिया रेलवे फाटक तक (लम्बाई 3.95 किमी0) मार्ग के चार लेन चौड़ीकरण के संरेखण में दो लेन खन्नौत नदी सेतु, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण	1214.22	239.17	64.38	303.55	सेतु निगम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2	जनपद शाहजहाँपुर में जलालाबाद-शमशाबाद मार्ग पर नव घोषित राज्यमार्ग-163 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के संरेखण में ढाई गांव के निकट सोत नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण	**1103.33**	**217.33**	**58.50**	**275.83**	**सेतु निगम**
	योग-	**2317.55**	**456.50**	**122.88**	**579.38**	

(1) **प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।**

(2) **कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना के यूटीलिटी शिफ्टिंग से संबंधित कार्य 03 माह में पूर्ण करने सहित परियोजना को कुल 12 माह में पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।**

(3) **स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।**

(4) **स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/ डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।**

(5) **विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है ।**

(6) **अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए0-2-23/ दस-2011-17(4)/75/2011 दि0 25.01.2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभागाध्यक्ष द्वारा जमा की जायेगी।**

(7) **लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।**

(8) **मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक मे जमा करायी जायेगी ।**

(9) **विभागाध्यक्ष द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।**

(10) **विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयररेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।**

(11) **प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति स्वीकृति के पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(12) **प्रयोजना में भूमि अधयासि का प्राविधान किया गया है। अत: भूमि का क्रय विभागाध्यक्ष द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**

(13) **प्रयोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उददेश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाये।**

(14) **प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुये मात्र दरों के स्थान पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/ कार्यदायी संस्था का होगा।**

(15) **विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये लिये क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।**

2- **इस संबंध में होने वाला व्यय** (1) **रूपये** 4,56,50,000(**रूपये चार करोड छप्पन लाख पचास हजार मात्र**) **को चालू वित्तीय वर्ष** 20222023 **के आय-व्ययक में अनुदान संख्या**-057 **लेखाशीर्षक**-5054041010403 **ग्रामीण सेतुओं का निर्माण मानक मद** 24 **वृहत् निर्माण कार्य** (2) **रूपये** 1,22,88,000(**रूपये एक करोड बाइस लाख अटठासी हजार मात्र**) **को चालू वित्तीय वर्ष** 20222023 **के आय-व्ययक में अनुदान संख्या**- 083 **लेखाशीर्षक**-5054047892000 **ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य मानक मद** 24 **वृहत् निर्माण कार्य के नाम डाला जायेगा।**

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई0-8-334/दस-2022-23,दिनॉक 15 दिसम्बर, 2022 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या-203/2022/1054/23-10-22-13(सेतु)/22-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- मण्डलायुक्त, बरेली/ जिलाधिकारी, शाहजहॉपुर ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
4 प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियन्ता, बरेली क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, बरेली।
6- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
8- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)@राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
9- बजट आवंटन अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन/ गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in